



Neutral Citation No. - 2026:AHC:180195

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 30186 वर्ष 2026

किशन उर्फ सोनू

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : अजय कुमार पांडे, मुकेश सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 65

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

1. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्तागण श्री अजय कुमार पांडेय एवं श्री मुकेश सिंह तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए.-I डॉ. एस.बी. मौर्य को सुना गया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 436 सन् 2025, धारा 103(1), 3(5) एवं 123 बी.एन.एस., थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़ में, विचारण लंबित रहने के दौरान उसे जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ताओं ने प्रस्तुत किया कि यद्यपि आवेदक को दो अन्य व्यक्तियों के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद किया गया है, किंतु वर्तमान मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट संदेह के आधार पर दर्ज की गई थी।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि शव-परीक्षण रिपोर्ट से यह परिलक्षित होता है कि मृतक को कोई बाह्य चोट नहीं आई थी और उसका विसरा सुरक्षित रखा गया था तथा विसरा रिपोर्ट से यह परिलक्षित होता है कि उसकी मृत्यु एल्युमिनियम फॉस्फाइड एवं एथिल अल्कोहल के सेवन के कारण हुई, किंतु अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह संकेत मिले कि आवेदक ने उसे कोई विषैला पदार्थ दिया था।
5. उन्होंने आगे तर्क दिया कि पांच माह बाद विवेचना अधिकारी ने जनार्दन सिंह का बयान दर्ज किया और उसने केवल इतना कहा कि आवेदक ने मृतक के साथ शराब का सेवन किया था।
6. उन्होंने आगे तर्क दिया कि उपर्युक्त साक्ष्य के आधार पर मात्र इस स्तर पर प्रथम दृष्टया यह नहीं कहा जा सकता कि आवेदक ने मृतक की हत्या की थी।
7. उन्होंने आगे तर्क दिया कि अभिलेख पर ऐसा कोई ठोस साक्ष्य नहीं है जो आवेदक को वर्तमान अपराध से जोड़ सके।
8. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि यद्यपि अभिलेख पर आवेदक के विरुद्ध कोई ठोस साक्ष्य नहीं है, इसके बावजूद केवल उपर्युक्त साक्ष्य के आधार पर विवेचना अधिकारी ने आवेदक के विरुद्ध भी आरोप-पत्र प्रस्तुत कर दिया।
9. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले के अतिरिक्त आवेदक का एक अन्य मामले में आपराधिक इतिहास है, किंतु वह मामला मामूली अपराध से संबंधित है।
10. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले में आवेदक दिनांक 29.05.2026 से जेल में है, अर्थात् पिछले तीन माह से जेल में निरुद्ध है।
11. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने यद्यपि जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, किंतु आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तथ्यों के संबंध में प्रस्तुत तर्क का खंडन नहीं कर सके।
12. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है तथा मामले के अभिलेख का परिशीलन किया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



13. यह परिस्थितिजन्य साक्ष्य का मामला है और यह परिलक्षित होता है कि संदेह तथा घटना से पूर्व अंतिम बार देखे जाने के साक्ष्य के अतिरिक्त अभिलेख पर आवेदक के विरुद्ध कोई अन्य साक्ष्य नहीं है।

14. आगे, घटना से पूर्व अंतिम बार देखे जाने का साक्ष्य भी पांच माह बाद सामने आया।

15. आगे, शव-परीक्षण रिपोर्ट से भी संकेत मिलता है कि मृतक को कोई चोट नहीं आई थी और उसका विसरा सुरक्षित रखा गया था तथा विसरा रिपोर्ट के अनुसार उसकी मृत्यु एल्युमिनियम फॉस्फाइड एवं एथिल अल्कोहल के सेवन के कारण हुई। अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से यह प्रतीत होता है कि मृतक शराब का सेवन किया करता था और प्रथम दृष्टया ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि आवेदक ने उसे कोई विषैला पदार्थ दिया था।

16. अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर विचार करने के पश्चात इस न्यायालय को आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत इस तर्क में बल प्रतीत होता है कि प्रथम दृष्टया अभिलेख पर आवेदक के विरुद्ध कोई ठोस साक्ष्य नहीं है।

17. आगे, यद्यपि वर्तमान मामले के अतिरिक्त आवेदक का एक अन्य मामले में आपराधिक इतिहास है, किंतु वह मामला मामूली अपराध से संबंधित है।

18. आगे, आवेदक वर्तमान मामले में दिनांक 29.05.2026 से, अर्थात् पिछले तीन माह से जेल में है और वर्तमान मामले में आरोप-पत्र दाखिल किया जा चुका है।

19. अतः, उपर्युक्त विवेचित मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरे विचार में आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।

20. तदनुसार, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

21. आवेदक-किशन उर्फ सोनू को उपर्युक्त मामले में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार समान राशि के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(i) आवेदक नियत तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान न की गई हो।

(ii) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए अथवा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।

(iii) आवेदक किसी आपराधिक एवं समाज-विरोधी गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।

21. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में अभियोजन को इस न्यायालय के समक्ष आवेदक की जमानत निरस्त किए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी।

22. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निस्तारण के प्रयोजन से पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों तक ही सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(न्यायमूर्ति समीर जैन)

31 अगस्त, 2026

एस.के.एम.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।